

कार्यालय : मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) कुमाऊँ मण्डल नैनीताल
विज्ञप्ति

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 एवं तद क्रम में समय-समय पर निर्गत शासनादेशानुसार वार्षिक स्थानान्तरण सत्र 2024-25 में स0अ0एल0टी0-स्नातक वेतनक्रम में कार्यरत शिक्षकों के स्थानान्तरण हेतु शासनादेश संख्या-1016 दिनांक 04 जुलाई, 2024 द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार नीचे दिये गये विवरणानुसार अटल उत्कृष्ट रा0बा0इ0का0 नैनीताल में संवर्गवार/श्रेणीवार काउंसिलिंग आयोजित की जाती है। काउंसिलिंग हेतु आमंत्रित शिक्षकों का विवरण विभागीय वैबसाइट www.schooleducation.uk.gov.in पर अपलोड किया गया है।

क्र.सं.	दिनांक/समय	संवर्ग	काउंसिलिंग हेतु आमंत्रित शिक्षकों का विवरण
01	19 जुलाई, 2024 प्रातः 10.00 बजे से प्रारम्भ	सामान्य शाखा	सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण क्रमांक 01 से 24
		महिला शाखा	सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण क्रमांक 01 से 10 महिला शाखा के अन्तर्गत अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण हेतु कार्यालय को प्राप्त आवेदन पत्रों की समस्त श्रेणियां जो विभागीय वैबसाइट पर प्रदर्शित की गयी हैं।
02	20 जुलाई, 2024 प्रातः 10.00 बजे से प्रारम्भ	सामान्य शाखा	अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण अधिनियम की धारा-17(1)(ख) की श्रेणी-एक, दो, तीन, चार एवं पांच से आच्छादित शिक्षक जिनका नाम विभागीय वैबसाइट पर प्रदर्शित किया गया है।
03	22 जुलाई, 2024 प्रातः 10.00 बजे से प्रारम्भ	सामान्य शाखा	अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण अधिनियम की धारा-17(1)(ख) की श्रेणी-06 से आच्छादित शिक्षक जिनका नाम विभागीय वैबसाइट पर प्रदर्शित किया गया है के क्रमांक 01 से 500 तक
04	23 जुलाई, 2024 प्रातः 10.00 बजे से प्रारम्भ	सामान्य शाखा	अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण अधिनियम की धारा-17(1)(ख) की श्रेणी-06 से आच्छादित अवशेष शिक्षक जिनका नाम विभागीय वैबसाइट पर प्रदर्शित किया गया है के क्रमांक 501 से 899 तक तथा अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण अधिनियम की धारा-17(1)(ख) की श्रेणी-07 से आच्छादित शिक्षक जिनका नाम विभागीय वैबसाइट पर प्रदर्शित किया गया है।
04	24 जुलाई, 2024 प्रातः 10.00 बजे से प्रारम्भ	महिला शाखा	दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण क्रमांक 01 से 54 तक
		सामान्य शाखा	दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण क्रमांक 01 से 426 तक

काउंसिलिंग में आमंत्रित समस्त शिक्षकों को काउंसिलिंग स्थल पर अपना अद्यतन (31 मई, 2024 की स्थिति के अनुसार) टीचर्स प्रोफाइल/आधार कार्ड के साथ उपस्थित होना अनिवार्य होगा। नियत तिथि/समय पर काउंसिलिंग में उपस्थित न होने वाले शिक्षकों को सम्बन्धित श्रेणी की काउंसिलिंग समाप्ति के उपरान्त अवसर प्रदान किया जायेगा।

(लीलाधर व्यास)
मण्डलीय अपर निदेशक (मा0शि0)
कुमाऊँ मण्डल नैनीताल

पृष्ठांकन संख्या/सेवाएं-3क(2)/अराज0/2391-92 /2024-25 दिनांक 11 जुलाई, 2024
01-सम्पादक अमर ज्ञानिक/निदेशक को इस आशय के साथ कि उक्त विज्ञप्ति को अपने दैनिक समाचार पत्र के कुमाऊँ संस्करण में न्यूनतम स्थान एवं शासकीय दरों में प्रकाशित करते हुए बिल दो प्रतियों में इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
02-कार्यालय लेखा अनुभाग।

मण्डलीय अपर निदेशक (मा0शि0)
कुमाऊँ मण्डल नैनीताल